

# जवाहर नवोदय विद्यालय – धौलपुर, जिला— धौलपुर (राज.)

:: निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें ::

1. जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर जिला धौलपुर (राज.) की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा **दिनांक 14.02.2020 समय पूर्वाहन् 11.00 बजे तक छात्र-छात्राओं की आव”यकताओं के अनुसार उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री आपूर्ति हेतु सत्र 2019–20 के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।**
2. निविदा लिफाफे पर जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ **फर्नीचर की निविदा में लिफाफे पर “फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा 2019–20”** स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य है।
3. निविदाएँ जवाहर नवोदय विद्यालय-धौलपुर, जिला— धौलपुर के प्राचार्य कक्ष में **दिनांक 14.02.2020** को दोपहर 2.30 बजे खोली जायेगी।
4. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें, निविदा फॉर्म की शर्तों, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को प्रपत्र की शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करने होंगे।
5. निविदा में अकित की गई दरें सभी करों जैसे— जी.एस.टी एवं अन्य करों सहित अंकित करनी होगी तथा सामग्री की आपूर्ति एफ.ओ.आर. जवाहर नवोदय विद्यालय-धौलपुर , जिला— धौलपुर (राज.) होगी।
6. निविदा फॉर्म साफ-सुधरे ढग से भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट यथासंभव नहीं करे। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन करना अतिआव”यक हैं तो उसे साफ-साफ तरीके से करते हुए परिवर्तन कर तथा किये गये परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें। परन्तु किसी भी द”गा में ओवर राइटिंग स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित हैं तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं हैं। अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये रद्द कर सकते हैं।
8. निविदा में स्वीकृत दरें 30.04.2020 तक के लिये तथा मरम्मत एवं रख-रखाव मद एवं यूनिकार्फ से सम्बन्धित निविदायें जुलाई 2019 से जून 2020 तक मान्य होंगी जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबंध हो जाता हैं जिसके आधार पर स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों के अनुरूप आपूर्ति/कार्य करेगा।
9. निविदा के साथ जमा करायी जाने वाली धरोहर राँग (अरेस्ट मनी) सीधे निम्नलिखित खाते में या बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जायेगी। बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय- धौलपुर , जिला— धौलपुर के पक्ष में बैंक ऑफ बडौदा, धौलपुर शाखा पर देय होगा। किसी भी दशा में फर्म का चैक स्वीकार नहीं होगा। निविदा के साथ चैक संलग्न करने पर उसकी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हे धरोहर राँग। निविदा की अंतिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। यदि निविदादाता धरोहर राँग के भुगतान में छूट चाहता है तो वह संबंधित सरकारी आदें<sup>1</sup> की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेगा जिसके अन्तर्गत संबंधित धरोहर राँग जमा कराने की छूट हेतु प्रात्रता रखती है।

<b>बैंक खाताधारक का नाम</b>	<b>प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय, धौलपुर</b>
<b>बैंक का नाम</b>	<b>बैंक ऑफ बडौदा, धौलपुर शाखा</b>
<b>बैंक खाता संख्या</b>	<b>26460100005033</b>
<b>बैंक का IFSC कोड</b>	<b>BARB0DHOLPU (Fifth figure is Zero)</b>

10. यदि कोई सरकारी संस्था निविदा प्रस्तुत करना चाहती हैं तो वे अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करें।
11. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जाएगी, उन्हें कुल अनुमानित क्रय राँग के 10 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। इस सुरक्षा राँग में उनके द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राँग समायोजित कर दी जाएगी तथा शेष राँग उन्हे निविदा अवधि 01 माह के अन्दर जमा करवानी होगी तथा इस सुरक्षा राँग पर किसी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा।
12. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राँग अनुबंध समाप्ति की तिथि से कुल 6 माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जायेगी। यदि निविदा अनुबंध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती हैं तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राँग से की जाएगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमूक्त कर दी जाएगी।
13. निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गई है, को आदेश देने की तारीख में लिखी गई समयावधि के भीतर विद्यालय को माल की आपूर्ति करनी होगी यदि अनुमोदित निविदादाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर माल भेजने में असफल रहता है, तो 07 दिन तक की देरी के लिये रुपये 500/- प्रतिदिन की दर से पैनलटी देनी होगी उसके उपरान्त आपूर्ति न करने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर लें या निविदा की आपूर्ति/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को देकर पूरा करवा लें। इस सम्बन्ध में अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षित राशि से अधिक होगी, तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी तथा ऐसी फर्म का भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा।
14. यदि किसी सामान की स्प्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी गिपट सामान या स्क्रीम दिया जा रहा हैं तो उस पर क्रेता का अधिकार होगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जाएगा।
15. निविदा में द”गा गई मात्रा अनुमानित है, जिसे निविदा जारीकर्ता/प्राचार्य द्वारा आव”यकता अनुसार बिना कारण बताए घटाया या बढ़ाया जा सकता है। स्वीकृत दरों पर आपूर्ति आदेश विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार ही निर्गत किये जायेंगे यह आवश्यक नहीं है कि सामग्री की दरें स्वीकृत होने पर उसे क्रय किया ही जाये।
16. निविदादाता को प्रिन्टेड एम.आर.पी. एवं अनुमोदित दर दोनों में से जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा।
17. प्रिन्टेड एम.आर.पी. (MRP) में जब-जब परिवर्तन होगा तो प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो बढ़ी हुई एम.आर.पी का सत्यापन कमेटी के माध्यम से खुले बाजार से करावें और यदि इस स्प्लायर फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी एम.आर.पी (MRP) दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो प्राचार्य निविदा करार को निरस्त कर सामग्री अन्यत्र स्थान से आपूर्ति कराकर हानि की भरपाई स्प्लायर फर्म से करवा सकता है तथा उसके द्वारा जमा करवायी गयी सरकारी राशि को जब्त कर सकता है।
18. निविदा फाम में जिस सामग्री के लिए नमूना मॉगा गया है, के सम्बन्ध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मॉगा गया नमूना साथ में लायेंगे। यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई म”मीन हैं उस द”गा में निविदादाता म”मीन का स्थापन अद्योहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशनुसार करेगा तथा उसको संचालित कर दिखायेगा तथा संबंधित कर्मचारियों को उसका निः”तुक्र प्राप्तिक्षण भी देगा।
19. आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा/आपूर्ति आदें<sup>1</sup> के अनुसार/विनिर्देशन के अनुसार नहीं पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर आपूर्ति की गयी सामग्री को बदलेगा अथवा वापस ले जायेगा।
20. ऐसी सामग्री जैसे कपड़ा, स्टेनरी, जूता चप्पल इत्यादि की गुणवत्ता की जांच करवाना यदि प्राचार्य को आवश्यक प्रतीत होता है तब ऐसी जांच जो कि सरकारी/ प्राइवेट लैब में करवायी जायेगी तथा इस प्रकार की जांच का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। जांच एजेन्सों का चयन अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा।

21. निविदा उन्हीं फर्मों की स्वीकार की जाएगी जो उस विशेष सामग्री का व्यापार करती हो तथा उसके निमित्त फर्म का उस सामग्री के व्यापार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री का आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करना हैं तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापार से संबंधित वैट प्रमाण पत्र व वैट नंबर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया हो कि संबंधित फर्म खाद्य सामग्री के व्यापार करने हेतु पंजीकृत है।
22. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज, रेल एवं सड़क या वायुयान द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत रथान पर प्राप्त की जा सके। किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट, लीक, सड़क दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता/आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होंगे और उस हानि की भरपायी उन्हीं के द्वारा की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुई हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
23. आपूर्तिकर्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. इत्यादि पर होने वाले व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
24. विवादास्पद आईटमों के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद आईटमों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित कमेटी सदस्य जिसमें एक प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता फर्म का भी होगा, कि आपसी सहमति के नियंत्रण अनुसार होगा।
25. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विशेष विवरण जैसे साईज, मैक, सैम्पल, पेटेन्ट क्वालिटी एवं मात्रा एवं टेंडर की शर्तें आदि जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर जिला धौलपुर के कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। इन्हें प्रत्येक निविदादाता अपने निविदा देने से पूर्व देख सकता है या प्राप्त कर सकता है। यदि उसे इन शर्तों या विशेष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करें तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
26. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए हैं, तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे, जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा।
27. इन सामान्य शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामान की सूची तथा विशेष सामग्री अनुसार शर्तों का विवरण इस निविदा फर्म के साथ संलग्न है।
28. ऐसी सामग्री जिसके निमित्त नमूना भी मांगा गया है निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूने की कीमत निविदा प्रपत्र के अनुसार भुगतान की जाएगी तथा नमूने पर क्रय सलाकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होंगें। नमूने को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। नमूना किसी भी दूर्घटना में निविदादाता को वापस नहीं किया जायेगा।
29. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र धौलपुर होगा।
30. आपूर्ति आदेश आपूर्तक को दस्ती अथवा उपलब्ध करायी गयी ई-मेल पर ही प्रेषित किये जायेंगे अतः सभी निविदादाताओं को विद्यालय को ई-मेल उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
31. आपूर्ति की गयी सामग्री का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा, चैक द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा। अतः निविदादाता को अपनी फर्म/आपूर्तक के खाता का पूर्ण विवरण विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा तथा साक्ष्य के रूप में निरस्त चैक संलग्न करना होगा।
32. निविदादाता फर्म का जी.एस.टी. पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।
33. निविदादाता निविदा के साथ निम्न सत्यापित प्रमाण-पत्र साथ में संलग्न करेंगे :–
- आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर व जीएसटी नम्बर की स्वसत्यापित प्रतिलिपि
  - निर्धारित धरोहर राशि रसीद / डिमाण्ड ड्राफ्ट
  - उपकरण फर्नीचर आदि की सप्लाई के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ सूचीपत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।
  - यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है, तो सम्बंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।
  - जहाँ लागू हो, टिन/विकीकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति।
  - फर्म के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक सहित)

प्राचार्य

जवाहर नवोदय विद्यालय  
धौलपुर जिला-धौलपुर (राज.)

दिनांक: .....2020.

उक्त धरोहर राशि को निविदा प्रपत्र में लिखित प्रावधानों के अनुसार अंकित की गयी शर्तों के उल्लंघन पर जब्त किये जाने का अधिकार निविदाकर्ता को होगा।

निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त संख्या 01 से 33 तक समस्त शर्तें हमें मान्य हैं। विशेष रूप से शर्त संख्या 09, 11, 13, 31 एवं 33 का अवलोकन कर समझ लिया है। इनके लिए मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं पता

.....

.....

#### PLEASE FILL BELOW DETAILS IN CAPITAL LETTERS

- Name of Tenderer/ Firm : .....
- Address of Tenderer / Firm : .....
- Contact No. : .....
- Email ID : .....
- PAN/ TAN No. / GST No. : .....
- Bank Details : Account No. ....  
Bank & Branch Name .....  
IFS Code No. ....

Sig. and stamp of Tenderer/ Firm with date